



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234265
CG-DL-E-17032022-234265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1136]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/ फाल्गुन 25, 1943

No. 1136]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2022

का.आ. 1176(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 5234, तारीख 16.12.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-346 के कि.मी. 0+000 से 87+900 कि.मी. तक (झरखंडा बैरसिया से विदिशा मार्ग) (तहसील-बैरसिया) के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने / चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन “स्वदेश” में गुरुवार 23 दिसंबर 2021 और “टाइम्स ऑफ़ इंडिया” में शनिवार 25 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-346 के कि.मी. 0+000 से 87+900 कि.मी. तक (झरखेड़ा बैरसिया से विदिशा मार्ग) (तहसील-बैरसिया) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: भोपाल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बैरसिया				
	गांव का नाम: बसई				
1	382/5/1	निजी	सिंचित	0.236	गोरा बाई बेवा फूलचंद काछी सा. देह भू स्वामी (३८२/५/१)
2	394/2	निजी	सिंचित	0.035	फत्तूलाल, मोहर सिंह, भागवती पिता देवचंद, हल्की बाई बेवा देव चंद, विमला बाई बेवा छगन लाल, दीपक, रवि ना.बा. पिता छगनलाल, वा. वि माता स्वयं जाति काछी पता निवासी ग्राम , बलराम पुत्र रमेश कुमार कुशवाह पता सा बैरागढ़ तह. बैरसिया 15*15=वर्गफीट भाग, रामबाबू मीणा पुत्र सनमान सिंह मीणा पता सा. ग्राम जमूसर खुर्द तहसील बैरसिया 15*15=750 वर्गफीट भाग व अन्य (३९४/२)
	गांव का नाम: बैरसिया				
3	271	निजी	सिंचित	0.095	तखत सिंह पुत्र तुलसीराम जाति काछी पता भोपाल भूमि स्वामी भू - राजस्व

					1.60 (२७१)
4	274	निजी	सिंचित	0.005	तखत सिंह पुत्र तुलसीराम जाति काछी पता भोपाल भूमि स्वामी भू - राजस्व 1.60 (२७४)
	गांव का नाम: इब्राहिमपुरा				
5	40	सरकारी	रास्ता	0.024	म.प्र.शासन (४०)
6	41/2	निजी	सिंचित	0.552	विनय सिंघई आत्मज संतोष कुमार पता सा. भोपाल भूमि स्वामी भू - राजस्व 1.58 (४१/२)
	गांव का नाम: इमलिया स्वरूप				
7	118/30/2/1	निजी	सिंचित	0.301	मनोज कुमार पुत्र भागमल साहू देवलखेड़ा भूमि स्वामी भू - राजस्व 2.25 (११८/३०/२/१)
8	118/30/2/2	निजी	सिंचित	0.004	झम्मन लाल पुत्र जगन्नाथ साहू देवलखेड़ा भूमि स्वामी भू - राजस्व 2.00 (११८/३०/२/२)
9	28/1/2/2/4	निजी	सिंचित	0.099	भगवान सिंह पुत्र प्रभूलाल साहू देवलखेड़ा भूमि स्वामी भू - राजस्व (२८/१/२/२/४)
10	28/1/2/2/5	निजी	सिंचित	0.229	मांगीलाल पुत्र प्रभूलाल साहू देवलखेड़ा भूमि स्वामी भू - राजस्व (२८/१/२/२/५)
11	28/1/2/2/6	निजी	सिंचित	0.012	प्रभूलाल पुत्र लालचंद साहू देवलखेड़ा भूमि स्वामी भू - राजस्व 1.25 (२८/१/२/२/६)
12	28/1/2/3/6	निजी	सिंचित	0.538	गुलाब चंद पुत्र ऊंकार प्रसाद साहू देवलखेड़ा भूमि स्वामी भू - राजस्व 10.00 (२८/१/२/३/६)
13	29	निजी	सिंचित	0.6	रमेशचंद्र पुत्र पन्नालाल साहू देवलखेड़ा भूमि स्वामी भू - राजस्व (२९/२)

14	30	निजी	सिंचित	0.442	मांगीलाल पुत्र लालजीराम साहू देवलखेडा भूमि स्वामी भू - राजस्व (३०/२)
15	31	सरकारी	रास्ता	0.023	म.प्र.शासन (३१)
16	58/1	निजी	सिंचित	0.08	ज्वाल सिंह पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता सा देह भूमि स्वामी भू - राजस्व 1.07 (५८/१)
17	59/2	निजी	सिंचित	0.381	पर्वत सिंह पुत्र गोपीलाल जाति अहीर सा देह भूमि स्वामी भू - राजस्व 4.13 (५९/२)
18	59/3	निजी	सिंचित	0.075	ज्वाल सिंह पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता सा देह भूमि स्वामी भू - राजस्व 1.07 (५९/३)
19	62/1/2 G	निजी	सिंचित	0.114	उमाशंकर पुत्र डी.पी. शास्त्री ब्राह्मण बैरसिया भूमि स्वामी भू - राजस्व 2.07 (६२/१/२ग)
			कुल	3.845	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/46/2018-19/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2022

S.O. 1176(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 5234 dated 14.12.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four - Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH-346 on the stretch of land from K.m. 0+000 to 87+900 Km. in (Jharkheda Berasia to vidisha Road) (Taluka-Berasia) in the district of Bhopal in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Swadesh” 23 December 2021 Thursday; and “Times of India” 25 December 2021 Saturday; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

Or

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0+000 to 87+900 Km. in (Jharkheda Berasia to vidisha Road) (Taluka-Berasia) of the NH346 in the district of Bhopal in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: BHOPAL		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Berasia				
	Village: Basai				
1	382/5/1	Private	Irrigated	0.236	Gora Bai Bewa Phulchand Kachhi sa.De. Bhumi Swami 382/5/1
2	394/2	Private	Irrigated	0.035	Phattulal, Mohar Singh, Bhagwati D/o Devchand, Halki Bai Bewa Devchand, Vimla Bai Bewa Chhagan Lal, Deepak, Ravi N.B. S/o Chhaganlal, Va. Vi Mata Swayam Jati Kachhi Pata Nivasi Gram Balram S/o Ramesh Kumar Kushwaha Pata Sa Bairagarh teh. Bairasia 15 * 15 = square feet Part, Rambabu Meena S/o Sanman Singh Meena Pata Gram Jamusar Khurd Tehsil Bairasia 15*15=750 square feet Part and Anay 394/2
	Village: Berasia				
3	271	Private	Irrigated	0.095	Takhat Singh S/o Tulsiram Kachhi R/o Bhopal Bhumi Swami Bhurajasaw 1.60 271
4	274	Private	Irrigated	0.005	Takhat Singh S/o Tulsiram Kachhi R/o Bhopal Bhumi Swami Bhurajasaw 1.60

					274
	Village: Ibrahimpura				
5	40	Government	Rasta	0.024	M.P.Govt. 40
6	41/2	Private	Irrigated	0.552	Vinay Singhai S/o Santosh Kumar R/o Bhopal Bhumi Swami Bhurajasaw 1.58 41/2
	Village: Imaliya Swaroop				
7	118/30/2/1	Private	Irrigated	0.301	Manoj Kumar S/o Bhagmal Sahu Devalkheda Bhumi Swami Bhu Rajaswa 2.25 118/30/2/1
8	118/30/2/2	Private	Irrigated	0.004	Jhamman lal S/o Jagannath Sahu Devalkheda Bhumi Swami Bhu Rajaswa 2.00 118/30/2/2
9	28/1/2/2/4	Private	Irrigated	0.099	Bhagvan Singh S/o Prabhulal Sahu Devalkheda Bhumi Swami Bhu Rajaswa 28/1/2/2/4
10	28/1/2/2/5	Private	Irrigated	0.229	Mangilal S/o Prabhulal Sahu Devalkheda Bhumi Swami Bhu Rajaswa 28/1/2/2/5
11	28/1/2/2/6	Private	Irrigated	0.012	Prabhulal S/o Lalchand Sahu Devalkheda Bhumi Swami Bhu Rajaswa 1.25 28/1/2/2/6
12	28/1/2/3/6	Private	Irrigated	0.538	Gulabchand S/o Unkar Prasad Sahu Devalkheda Bhumi Swami Bhu Rajaswa 10.00 28/1/2/3/6
13	29	Private	Irrigated	0.6	Rameshchandra S/o Pannalal Sahu Devalkheda Bhumi Swami Bhu Rajaswa 29/2
14	30	Private	Irrigated	0.442	Mangilal S/o Laljiram Sahu Devalkheda Bhumi Swami Bhu Rajaswa 30/2
15	31	Government	Rasta	0.023	Madhya Pradesh Government 31
16	58/1	Private	Irrigated	0.08	Jwal Singh S/o Gopilal Caste Ahir R/o Niwas Gram Bhumi Swami Bhu Rajaswa 1.07 58/1
17	59/2	Private	Irrigated	0.381	Parwat Singh S/o Gopilal Caste Ahir R/o Niwas Gram Bhumi Swami Bhu Rajaswa 4.13 59/2
18	59/3	Private	Irrigated	0.075	Jwal Singh S/o Gopilal Caste Ahir R/o Niwas Gram Bhumi Swami Bhu Rajaswa 1.07 59/3

19	62/1/2 G	Private	Irrigated	0.114	Umashankar S/o D.P. Shashtri Brahman R/o Berasiya Bhumi Swami Bhu Rajaswa 2.07 62/1/2G
			TOTAL	3.845	

[F. No. CE-RO BPL/30010/46/2018-19/3D]

RAJESH GUPTA, Director